::कार्यालय ज्ञाप ::

वर्तमान मे अधिकांश शाखाओ पर भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु लम्बे समय से अधिवक्ता पैनल का गठन नही किया गया है तथा शाखाओ पर निर्धारित संख्या मे अधिवक्ता, पैनल मे सम्मिलित/कार्यरत नही है, जिससे शाखाओ पर ऋण वितरण का कार्य बाधित हो रहा है।

अतः शाखाओं पर भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु अधिवक्ता पैनल गठन के सम्बन्ध मे पूर्व निर्गत प्रधान कार्यालय के आदेशांक 277/लीगल/75–76 दिनांक 25.05.1976, आदेशांक सी–136/लीगल/85–86 दिनांक 18.01.1986, परिपत्र संख्या सी–159/विधि–2/2004–05, दिनांक 07.01.2005 तथा ज्ञाप संख्या–21125/स्थापना/2012–13 दिनांक 15.02.2013 में आंशिक संशोधन करते हुये बैंक की शाखाओं पर भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु अधिवक्ता पैनल के गठन हेतु बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धको को अधिकृत किया जाता है।

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धको को निर्देशित किया जाता है कि अपने मण्डल की ऐसी शाखाओ पर जहां पूर्व गठित अधिवक्ता पैनल का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक हो गया हो अथवा जहां पर निर्धारित संख्या मे अधिवक्ता, पैनल मे सम्मिलित/कार्यरत न हों एवं पैनल गठन/पुर्नगठन की आवश्यकता हो, वहां पर नियमानुसार तत्काल पैनल गठन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(ए0 के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

ज्ञाप संख्या– 51295/विधि/2020–21 दिनांकः– 05.01.2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।
(3) उप महाप्रबन्धक/प्राचार्य, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशि0 केन्द्र, लखनऊ।
(4) समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ।
(5) प्रबन्धक(आई0टी0सेल), को ई–मेल पर अपलोड कराने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक